अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

बूटाराम बनाम राज्य व बचनाराम

अपील इंतकाल प्रकरण सं० 43 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
22.06.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजि० किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील अपीलांट को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति आगामी पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली 26–7–16 को पेश हो।	N.I. 1796 जा. 26.7.16
26.07.16	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 9.9.16 को पेश हो।	नामान्तरकरण की प्रति पूर्व में पेश की जा चुकी है
9.9.16	अपीलांट के Ad. उप०। रेस्पो० सं० एक की ओर से G.A. उप०। रेस्पो० सं० 2 को सम्मन अदम तामील प्राप्त। रिपोर्ट के अनुसार रेस्पो० सं० सोहनेवाला में नहीं रहता है। वकील अपीलांट नवीन पते के साथ सम्मन तलबाना पेश करें। सम्मन जारी हो। वकील अपीलांट द्वारा आदेशिका दि० 22.6.16 की पालना में फार्म नं. 3 के साथ अपीलकृत इंतकाल की प्रमा० प्रति दि० 28.6.16 को पेश कर दी है जो शा० मिसल है। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दि० 20.10.16 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

23/9/25 अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश सम्मन तलबाना दिनांक 04/11/25 को पेश हो।

4.11.2025 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी को सम्मन तलबाना पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.12.2025 को पेश हो।

16.12.25 अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश सम्मन तलबाना दिनांक 17.02.26 को पेश हो।

17/2/26 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश भ्रमण पर~~ प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 15/4/26 को पेश हो।

15.04.2026

अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो तलबी हेतु नियत है, उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में' राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर उक्त अपील में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

15/4/26

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर